प्रेस नोट   पुलिस कमिश्नरेट गाजियाबाद   दिनांक 08.01.2025

थाना ट्रोनिका सिटी पुलिस द्वारा गैंगस्टर एक्ट में वांछित 20,000/- रूपये का ईनामी अभियुक्त गिरफ्तार।

दिनांक 07.01.2025 को थाना ट्रोनिका सिटी पुलिस टीम द्वारा मुखबिर की सूचना के आधार पर थाना लोनी पर गैंगस्टर एक्ट के अन्तर्गत पंजीकृत अभियोग में वांछित अभियुक्त शहबाज उर्फ साबाज पुत्र बसीउल्लाह खान उर्फ बसी निवासी आर्यनगर थाना लोनी बॉर्डर गाजियाबाद मूल निवासी यमुना विहार सी ब्लॉक थाना भजनपुरा दिल्ली, उम्र करीब 25 वर्ष को गढ़ी कट्टैया चौराहा चौकी क्षेत्र रामपार्क से गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त 20,000/- रूपये का ईनामी था। अग्रिम वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

उपरोक्त गैंगस्टर एक्ट के अभियोग में दिनांक 19.10.2024 को अभियुक्त आसिफ पुत्र मेहर इलाही निवासी निठोरा रोड लोनी गाजियाबाद हाल पता मौहम्मद मजीदपुर थाना कोतवाली नगर हापुड तथा दिनांक 14.09.2024 को अभियुक्त हनीफ पुत्र नाथू उर्फ नत्थू निवासी नियर पीर रजा मस्जिद मुस्तफाबाद थाना लोनी को गिरफ्तार कर जेल भेजा जा चुका है।

पूछताछ का विवरण-

अभियुक्त ने पूछताछ के दौरान बताया कि मैंने अपने गिरोह के अन्य साथियों के साथ मिलकर अवैध रुप से धन लाभ अर्जित करने के लिये गौकशी व पशुक्रूरता जैसे अपराध कारित किये हैं। जिसमें मैं अपने साथियों के साथ पूर्व में जेल जा चुका हूँ।

गिरफ्तार अभियुक्तका नाम व पता-

शहबाज उर्फ साबाज पुत्र बसीउल्लाह खान उर्फ बसी निवासी आर्यनगर थाना लोनी बॉर्डर गाजियाबाद मूल निवासी यमुना विहार सी ब्लॉक थाना भजनपुरा दिल्ली, उम्र करीब 25 वर्ष।

अपराधिक इतिहास/पंजीकृत अभियोग-

अभियुक्त के विरुद्ध थाना लोनी पर उ0प्र0 गौवध निवारण अधिनियम व गैंगस्टर अधिनियम के कुल 02 अभियोग पंजीकृत है। अन्य आपराधिक इतिहास की जानकारी की जा रही है।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

थाना ट्रोनिका सिटी पुलिस टीम।

थाना लोनी पुलिस द्वारा अभियोग में वांछित अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे से अवैध तमंचा व 01 जिन्दा कारतूस बरामद।

दिनांक 07.01.2025 को थाना लोनी पर वादी द्वारा तहरीर दी गई कि अभियुक्त द्वारा वादी के साथ गाली गलौच करना व तमंचा दिखाकर जान से मारने की धमकी देना। प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना लोनी पर तत्काल धारा 352/351(2) बीएनएस के अन्तर्गत अभियोग पंजीकृत किया गया तथा अभियुक्त की गिरफ्तारी हेतु पुलिस टीम का गठन किया गया।

तत्पश्चात दिनांक 07.01.2025 को थाना लोनी पुलिस टीम द्वारा त्वरित कार्यवाही करते हुए मैनुअल इनपुट व मुखबिर की सूचना के आधार पर उपरोक्त अभियोग में वांछित अभियुक्त प्रशान्त उर्फ जैरी पुत्र मुकेश निवासी चिरोडी थाना लोनी गाजियाबाद, उम्र करीब 24 वर्ष को चौकी क्षेत्र बंथला से गिरफ्तार किया गया जिसके कब्जे से 01 अवैध तमंचा 315 बोर व 01 जिन्दा कारतूस 315 बोर बरामद हुआ। उक्त अवैध तमंचा व कारतूस की बरामदगी के आधार पर उपरोक्त अभियोग में धारा 3/25 आर्म्स एक्ट की बढोत्तरी की गयी। अग्रिम वैधानिक कार्यवाही की जा रही है

पूछताछ का विवरणः-

अभियुक्त ने पूछताछ के दौरान बताया कि मेरी वादी से कहासुनी हो गई थी जिसमें मैंने वादी के घर के बाहर गाली गलौच की तथा तमंचा दिखाकर जान से मारने की धमकी दी थी।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता-

प्रशान्त उर्फ जैरी पुत्र मुकेश निवासी चिरोडी थाना लोनी गाजियाबाद, उम्र करीब 24 वर्ष।

आपराधिक इतिहास –

थाना लोनी पर अभियुक्त के विरूद्ध उपरोक्त प्रकरण के संबंध में थाना लोनी पर 01 अभियोग पंजीकृत है। अन्य आपराधिक इतिहास की जानकारी की जारही है।

बरामदगी का विवरण-

कब्जे से 01 अवैध तमंचा 315 बोर व 01 जिन्दा कारतूस 315 बोर बरामद।

गिरफ्तार करने वाली टीम-

थाना लोनी पुलिस टीम।

थाना इन्दिरापुरम पुलिस टीम द्वारा गैंगस्टर एक्ट के अभियोग में वाँछित 01 अभियुक्त गिरफ्तार।

कार्यवाही का विवरणः दिनांक 07.01.2025 को थाना इन्दिरापुरम पुलिस टीम द्वारा गैंगस्टर एक्ट के पंजीकृत अभियोग में वाँछित 01 अभियुक्त यश कुशवाह पुत्र लालाराम कुशवाह निवासी **पूर्व पता** 72/02 पीला क्वार्टर लोहिया नगर थाना सिहानी गेट गाजियाबाद **हाल निवासी** किराये का मकान गली न0 6 मकान न0 डी 199 गोविन्दपुरम थाना कविनगर गाजियाबाद **मूल निवासी** ग्राम तिलर थाना तिलर जनपद शाहजंहापुर उम्र करीब 30 वर्ष को अभियुक्त के वर्तमान पते गोविन्दपुरम स्थित मस्कन से गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त यश कुशवाह पुत्र लालाराम कुशवाह उपरोक्त थाना इन्दिरापुरम पर धारा 2/3 उ0प्र0 गिरोह बंद एवं समाज विरोधी

क्रियाकलाप निवारण अधिनियम के अन्तर्गत पंजीकृत अभियोग में वाछिंत चल रहा था। गिरफ्तार अभियुक्त उपरोक्त के विरुद्ध आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

पूछताछ का विवरण: गिरफ्तार अभियुक्त यश कुशवाह पुत्र लालाराम कुशवाह उपरोक्त से पूछताछ करने पर यह तथ्य प्रकाश में आए कि अभियुक्त उपरोक्त व उसके अन्य साथियों द्वारा गिरोह बनाकर लूट जैसे संगीन अपराध कारित किये गये है। इनके द्वारा इन्दिरापुरम क्षेत्रान्तर्गत पैट्रोल पम्प के कर्मचारीयो से 9.56 लाख रु0 की लूट की घटना कारित की गयी थी।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता

यश कुशवाह पुत्र लालाराम कुशवाह निवासी **पूर्व पता** 72/02 पीला क्वार्टर लोहिया नगर थाना सिहानी गेट गाजियाबाद **हाल निवासी** किराये का मकान गली न0 6 मकान न0 डी 199 गोविन्दपुरम थाना कविनगर गाजियाबाद **मूल निवासी** ग्राम तिलर थाना तिलर जनपद शाहजंहापुर उम्र करीब 30 वर्ष।

गिरफ्तार अभियुक्त का आपराधिक इतिहास

गिरफ्तार अभियुक्त यश कुशवाह पुत्र लालाराम कुशवाह उपरोक्त के विरुद्ध थाना इन्दिरापुरम पर लूट व गैगंस्टर एक्ट के सम्बन्ध में 02 अभियोग पंजीकृत है। अन्य आपराधिक इतिहास की जानकारी की जा रही है।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम

थाना इन्दिरापुरम पुलिस टीम।

थाना लोनी पुलिस द्वारा वाहन चोरी करने वाले 02 अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे से चोरी का ऑटो-रिक्शा बरामद।

आज दिनांक 08.01.2025 को थाना लोनी पुलिस टीम द्वारा चेकिंग के दौरान वाहन चोरी करने वाले 02 अभियुक्तों 1. मुराद कुरैशी पुत्र जमाल कुरैशी निवासी अहमद नगर छप्पर वाली मस्जिद के पास अशोक विहार थाना लोनी गाजियाबाद, उम्र करीब 22 वर्ष 2. साहिल पुत्र नाजिर निवासी दुर्गा वाली दो मूर्ति के पास ट्रोनिका सिटी गाजियाबाद, उम्र करीब 22 वर्ष को चौकी क्षेत्र अशोक विहार लोनी से गिरफ्तार किया गया जिनके कब्जे से थाना अंकुर विहार गाजियाबाद से चोरी किया गया 01 ऑटो-रिक्शा बरामद हुआ। गिरफ्तार अभियुक्तों के विरूद्ध थाना लोनी पर धारा 317(2)/317(5) बीएनएस के अन्तर्गत अभियोग पंजीकृत किया गया। अग्रिम वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

पूछताछ का विवरण-

अभियुक्तों ने पूछताछ के दौरान बताया कि हमने यह ऑटो-रिक्शा कुछ दिन पहले थाना अंकुर विहार क्षेत्र से चोरी किया था। आज हम इस चोरी के ऑटो-रिक्शा को बेचने की फिराक में निकले थे कि पुलिस चेकिंग में पकड़े गये।

गिरफ्तार अभियुक्तों का नाम व पता-

1. मुराद कुरैशी पुत्र जमाल कुरैशी निवासी अहमद नगर छप्पर वाली मस्जिद के पास अशोक विहार थाना लोनी गाजियाबाद, उम्र करीब 22 वर्ष।

2. साहिल पुत्र नाजिर निवासी दुर्गा वाली दो मूर्ति के पास ट्रोनिका सिटी गाजियाबाद, उम्र करीब 22 वर्ष

बरामदगी का विवरण-

कब्जे से चोरी किया गया 01 ऑटो-रिक्शा बरामद।

आपराधिक इतिहास/पंजीकृत अभियोग-

अभियुक्तों के विरूद्ध उपरोक्त वाहन चोरी के संबंध में थाना अंकुर विहार पर 01 अभियोग पंजीकृत है तथा उपरोक्त चोरी का वाहन बरामदगी के संबंध में थाना लोनी पर 01 अभियोग पंजीकृत किया गया है। अन्य आपराधिक इतिहास की जानकारी की जा रही है।

गिरफ्तार करने वाली टीम-

थाना लोनी पुलिस टीम।

थाना लोनी पुलिस द्वारा हत्या के अभियोग में वांछित 25 हजार रुपये का इनामी अभियुक्त गिरफ्तार।

आज दिनांक 08.01.2025 को थाना लोनी पुलिस टीम द्वारा चेकिंग के दौरान मुखबिर की सूचना के आधार पर हत्या के अभियोग में वांछित 25000/- रूपये का इनामी अभियुक्त मन्नू उर्फ विनय कसाना पुत्र सत्यवीर राठी निवासी ग्राम जावली थाना टीला मोड गाजियाबाद, उम्र करीब 20 वर्ष को चौकी क्षेत्र बंथला लोनी से गिरफ्तार किया गया। अग्रिम वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

पूछताछ का विवरण-

अभियुक्त ने पूछताछ के दौरान बताया कि मैं, प्रिंस भडाना व मृतक वंश तीनों आपस में दोस्त थे। जिम से खरीदे गये प्रोटीन के डिब्बों को लेकर मृतक वंश से मेरा व प्रिंस का विवाद हो गया था। हमने वंश को उसके घर से अपने साथ ले जाकर उस पर फायरिंग कर दी थी तथा वहां से भाग गये थे। वंश की जीटीबी अस्पताल दिल्ली में इलाज के दौरान मृत्यु हो गयी थी। मेरे साथी प्रिंस भडाना को दिल्ली क्राइम ब्रांच द्वारा अवैध असलाह के साथ गिरफ्तार कर जेल भेजा जा चुका है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता -

मन्नू उर्फ विनय कसाना पुत्र सत्यवीर राठी निवासी ग्राम जावली थाना टीला मोड गाजियाबाद, उम्र करीब 20 वर्ष।

आपराधिक इतिहास/पंजीकृत अभियोग-

अभियुक्त के विरूद्ध थाना लोनी पर हत्या का 01 अभियोग पंजीकृत है। अन्य आपराधिक इतिहास की जानकारी की जा रही है।

गिरफ्तार करने वाली टीम

थाना लोनी पुलिस टीम।

क्राईम ब्रान्च पुलिस कमिश्नरेट गाजियाबाद द्वारा दो पहिया वाहनों की चोरी करने वाले अन्तर्राज्यीय गिरोह का पर्दाफाश,03 अभियुक्त गिरफ्तार, जिनके कब्जे से चोरी के 21 दो पहिया वाहन व चोरी करने के उपकरण बरामद

दिनांकः 08/01/2025 को क्राइम ब्रान्च पुलिस कमिश्नरेट गाजियाबाद व थाना कविनगर पुलिस द्वारा दो पहिया वाहनों की चोरी करने वाले अन्तर्राज्यीय गैंग के 03 शातिर अभियुक्तों को थाना कविनगर क्षेत्र से गिरफ्तार करने मे महत्तवपूर्ण सफलता अर्जित की गयी है। गिरफ्तार किये गये अभियुक्तो की निशादेही पर अलीगढ व दिल्ली एनसीआर क्षेत्र से चोरी किये गये 21 दो पहिया वाहन (19 मोटर साईकिल व 02 स्कूटी) व दो पहिया वाहन चोरी करने के उपकरण बरामद किये गये है।

पूछताछ का विवरण- पूछताछ पर अभियुक्त विजय यादव ने बताया कि उसने 10वीं पास करने के बाद पढाई छोड दी और नोएडा सैक्टर-63 क्षेत्र में किराये का मकान लेकर वहाँ दैनिक मजदूरी पर एक्सपोर्ट कम्पनी में प्रेसिंग का काम करने लगा। करीब 3-4 वर्ष पूर्व वहाँ उसकी मुलाकात कृष्णा व राजा जो लोनी क्षेत्र के रहने वाले थे, से हुई जो दो पहिया वाहन चोरी करते थे और काफी पैसे भी खर्च करते थे लालचवश विजय यादव भी उनके साथ वाहन चोरी करने जाने लगा वो लोग विजय को 01 मो0सा0 चोरी में 1,000 रूपये देते थे कुछ समय बाद कृष्णा व राजा को पुलिस ने पकड लिया और विजय अपने गाँव भाग गया था। मई वर्ष 2022 में विजय कोतवाली देहात हापुड से जेल गया था जेल से छूटने के बाद उसने दो पहिया वाहन चोरी करने का अपना अलग गिरोह बना लिया। उसके गिरोह में उसके अलावा पिन्टू सोलंकी, राहुल, अभिषेक व सोनू थे। विजय यादव, पिन्टू सोलंकी व राहुल साथ मिलकर गाजियाबाद, नोएडा व दिल्ली एऩसीआर क्षेत्र से दो पहिया वाहनों की चोरी करके सोनू जो मो0सा0 / स्कूटर का मैकेनिक है व अभिषेक को देते थे। अभियुक्त पिन्टू ने पूछताछ पर बताया कि उसने 9वीं करने के बाद पढाई छोड दी थी तथा न्यायखण्ड इन्दिरापुरम मे रहकर स्वीगी में 6-7 साल से डिलीवरी ब्वॉय का काम कर रहा था लॉक डाऊन से पहले से उसकी विजय यादव से दोस्ती थी। पिन्टू को पैसे की तंगी चल रही थी विजय यादव ने उसे मोटर साईकिल चोरी करने के बारे बताया तो पिन्टू ने विजय यादव के साथ मिलकर दो पहिया वाहन चोरी करना शुरू कर दिया। पिन्टू वर्ष 2022 में मोटर साईकिल चोरी करने के अपराध में थाना इन्दिरापुरम से जेल भी जा चुका है। अभियुक्त सोनू कुमार ने पूछताछ पर बताया कि वह 5वीं फेल है तथा उसकी वर्ष 2018 से नौगवां अलीगढ में मोटर साईकिल / स्कूटी की रिपेयर की दुकान करता है जहाँ उसकी मुलाकात 3-4 वर्ष पूर्व विजय यादव उपरोक्त से हुई उसने विजय, पिन्टू व राहुल से चोरी की मोटर साईकिलों को लेकर बेचने व मोटर साईकिलों के पार्ट्स को अलग-अलग करके रिपोयरिंग के लिए आने वाली मोटर साईकिलों मे लगाना शुरू कर दिया जिसमे उसे काफी फायदा होने लगा।

अभियुक्तगणो ने पूछताछ पर बताया कि वह गाजियाबाद, दिल्ली एनसीआर क्षेत्र से दो पहिया वाहनों की चोरी करके अलीगढ व बुलन्दशहर के देहात क्षेत्रों में 8-9 हजार रूपये मे बेच देते है, ये लोग दिन में कम्पनियों मे काम करते है तथा जब भी इनके पास मोटर साईकिलों की डिमाण्ड आती है तो ये लोग रात के समय चोरी करते है। मोटर साईकिल की डिमाण्ड विजय, पिन्टू व राहुल को सोनू व अभिषेक बताते है। चोरी करने जाते समय ये लोग अपने मोबाईलों को बन्द कर देते है और जहाँ भी मौका मिलता है वहाँ से मो0सा0 चोरी करके उसे छिपा देते है व बाद मे मौका मिलने पर उसे अलीगढ व आस-पास के क्षेत्रों में डिमाण्ड के अनुसार ले जाकर बेच देते है। अलीगढ में इस गैंग द्वारा काफी चोरी की मोटर साईकिलें छिपाकर रखी थी। अभियुक्तों ने बताया पिछले कुछ समय से पुलिस अलीगढ में इनके ठिकानों पर छापेमारी कर रही थी जिसके डर से इन लोगो ने अपने ठिकानों से ये सभी चोरी के दो पहिया वाहन

हटा कर यहाँ गाजियाबाद में छिपा रखे थे। चोरी की मोटर साईकिलों को बेचने के बाद जो भी पैसा मिलता है उसे आपस मे बराबर-बराबर बाँट लेते थे और उससे अपने खर्चे व शौक पूरे करते थे।

अभियुक्तगणों ने चोरी की अन्य मोटर साईकिलों के सम्बन्ध में कई महत्वपूर्ण जानकारियाँ दी है चोरी की अन्य मोटर साईकिलों की बरामदगी व गिरफ्तारी के लिए टीमे गठित कर दबिशें दी जा रही है।

<u>गिरफ्तार अभियुक्तगण का विवरण-</u>

1.विजय यादव पुत्र महेन्द्र यादव मूल निवासी ग्राम नौगांवा सरकारी स्कूल के पास थाना गंगीरी जनपद अलीगढ हाल निवासी पीजी. में किराये पर महिला खेल का मैदान/तिकोना पार्क के पास छिजारसी थाना सैक्टर 63 गौतमबुद्धनगर . उम्र करीब 24 वर्ष

2.पिन्टू सोलंकी पुत्र स्वगजेन्द्र सोलंकी मूल निवासी ग्राम राणा मऊ हनुमान 0 मन्दिर के पास थाना अमापुर जनपद कासगंज हाल निवासी किराये पर विनोद त्यागी का मकान म0न0 539 सी न्याया खण्ड 3rd थाना इन्दिरापुरम गाजियाबाद उम्र करीब वर्ष 22

3.सोनू पुत्र सूरजपाल निवासी ग्राम बिजोली नगला थाना पाली मुकीमपुर जनपदअलीगढ हाल पता विशेष कुमार -मक के ान मे किराये पर ग्राम नौगाव थाना गंगेरी जनपद अलीगढ उम्र करीब वर्ष 20

<u>अभियुक्तगण से बरामदगी का विवरण</u> –

1.मोटर साइकिल अपाचे रजि0न0 UP 16CU 9250 (मु0अ0स0-013/-धारा 25303)2-बीएनएस थाना सैक्टर (63 पुलिस कमिश्नरेट गौतमबुद्धनगर से सम्बन्धित)

2.मो 0सा0 पैशन प्रोरंग लाल काला रजिस्ट्रेशन न0-DL 4SCH 0459 (ईएफआईआर न0--040301 /-दिनांक 24 29/12/24 एमवी थैफ्ट दिल्ली से सम्बन्धित)

3.स्कूटी एक्टिवा रंग सफेद रजिस्ट्रशन न0- DL 4SCJ 5009 (ईएफआईआर न0--33894/24 थाना एमवी थैफ्ट दिल्ली से सम्बन्धित)

4.मोटर साईकिल स्पलेण्डर प्लस रंग सिल्वर रजिन0 0- UP 11AM 9666 (ईएफआईआर न0--034049/ 24 थाना एमवी थैफ्ट दिल्ली से सम्बन्धित)

5.मो0सा0 स्पलेण्डर प्लस रंग काला बिना नम्बर प्लेट (रजिन0 0- DL 9SCD 0300, ईएफआईआर न0--025748/ 24थाना एमवी थैफ्ट दिल्ली से सम्बन्धित)

6.मो0सा0 अपाचे रंग सफेद रजि0 न0-DL 3SEU 9275 (ईएफआईआर न0--037040/ 24थाना एमवी थैफ्ट दिल्ली से सम्बन्धित)

7.स्कूटी टीवीएस एन्टोर्क रंग ग्रे रजिन0 0- DL 5SDT 2481 (ई-एफआईआर-036291/24 थाना-एमवी थैफ्ट दिल्ली से सम्बन्धित)

8.मो 0सा0 स्पलेण्डर प्लस रंग काला व ग्रेबिना नम्बर प्लेट (रजिस्ट्रेशन नंबर UP 81CS 1329, मु0अ0स0-245/ 2023धारा-379 भादवि थाना पाली मुकीमपुर जनपद अलीगढ से सम्बन्धित)

9.मो0सा0 पैशन प्रो रंग ला काला बिना नम्बर प्लेट (रजिन0 0- DL 13SS 9797, ईएफआईआर न0--039454/ 24 थाना एमवी थैफ्ट दिल्ली से सम्बन्धित)

10.मो0सा0 हीरो स्पलेण्डर प्लस रंग काला रजि0न0-UP 16AM 6510 चोरी की

11.मो0सा0 स्पलेण्डर प्लस रंग काला रजि0न0- DL 7SW 8569 चोरी की

12.मो0सा0 होण्डा ट्विस्टर रंग लाल काला रजिन0 0- UP 14CH 1353 चोरी की

13.मो0सा0 हीरो होण्डा स्पलेण्डर प्लस रंग काला बिना नम्बर प्लेट (रजिस्ट्रेशन नंबर UP 16EA 2361) चोरी की

14.मो0सा0 हीरो होण्डा स्पलेण्डर प्लस रंग काला बिना नम्बर प्लेट (रजिस्ट्रेशन नंबर UP 35BS 8808) चोरी की

15.मो0सा0 हीरो होण्डा स्पलेण्डर प्लस रंग काला रजिन0 0- UP 16EH 1458 चोरी की
16.मो0सा0 हीरो होण्डा स्पलेण्डर प्लस रंग काला रजिन0 0- UP 87F0304 चोरी की
17.मो0सा0 हीरो होण्डा स्पलेण्डर प्लस रंग काला बिना नम्बर प्लेट (रजिस्ट्रेशन नंबर UP14Q8611) चोरी की
18.मो 0सा0 प्लेटिना रंग लाल ग्रे बिना न0 प्लेट(रजिस्ट्रेशन नंबर UP86AH4611) चोरी की
19.मो0सा अपाचे रंग ग्रे बिना न0 प्लेट 0(रजिस्ट्रेशन नंबर UP 31BK 9262) चोरी की
20.मो 0सा0 हीरो होण्डा स्पलेण्डर प्लस रंग काला ग्रे बिना नम्बर(रजिस्ट्रेशन नंबर UP 16DN 2361) चोरी की
21.मो0सा0 बजाज विक्रान्त वी-15 बिना नम्बर प्लेट (रजिस्ट्रेशन नंबर UP 14DC 0147) चोरी की
22.मोटर साईकिलों को चोरी करने मे प्रयुक्त एल0एन0टी- 02 अदद

आपराधिक इतिहास-

1.अभियुक्त विजय के विरूद्ध दिल्ली में 07, नोएडा में 01, अलीगढ मे 01, हापुड में 1, गाजियाबाद में 01 कुल 11 अभियोग पंजीकृत हैं।

2.अभियुक्त पिन्टू सोलंकी के विरूद्ध दिल्ली में 07, नोएडा में 01, अलीगढ मे 01, गाजियाबाद मे 02 कुल 11 अभियोग पंजीकृत है।

3.अभियुक्त सोनू कुमार के विरूद्ध दिल्ली में 07 व गाजियाबाद मे 01 कुल 08 अभियोग पंजीकृत है।

गिरफ्तार करने वाली टीम-

1.क्राईम ब्रान्च, पुलिस कमिश्नरेट गाजियाबाद की टीम
2.थान कविनगर पुलिस टीम

थाना कविनगर पुलिस टीम द्वारा चोरी की घटना कारित करने वाले दो अभियुक्त गिरफ्तार व कब्जे से 04 विद्युत मोटर ,तीन फैन ब्लेड ,बेल्डिंग व लोहे का सामान व 5500 रूपये बरामद तथा घटना में प्रयुक्त मोटरसाइकिल को सीज किया गया ।

दिनांक 18.12.2024 को वादी अर्पित कुमार पुत्र जयेश कुमार निवासी 319 पाण्डव नगर थाना कविनगर गाजियाबाद ने अज्ञात अभि0 के द्वारा वादी की कम्पनी से welding cable(30x4) feets. Welding holder (4) lpg cutter (2) lpg ghadi(2), mini moter(2), nozzle(220) fan blade (25) electric cable(25 mtr) paint can(2), pump(2), moter(3) चोरी कर ले जाना के संबंध में थाना कविनगर पर तहरीर दी जिस पर तत्काल थाना कविनगर पर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया था।

उपरोक्त घटना का तत्काल संज्ञान लेते हुए घटना के अनावरण हेतु टीमों का गठन किया गया। सभी टीमों के अथक प्रयास, लोकल इनपुट, सीसीटीवी कैमरे व मुखबीर की सूचना के आधार पर दिनांक 08.01.2025 को अभियुक्त 1. महबूब पुत्र बुन्दु निवासी म0 नं0 198 वीर अब्दुल हमीद कालोनी सेक्टर 12 थाना विजयनगर कमिश्नरेट गाजियाबाद , उम्र 38 वर्ष 2. आमिर पुत्र अली मोहम्मद निवासी म0न0 304 वीर अब्दुल हमीद कालोनी सेक्टर 12 थाना विजयनगर कमिश्नरेट गाजियाबाद , उम्र 28 वर्ष को आर0 टी0ओ0 कार्यालय व पुलिस चौकी के चौराहे औद्योगिक क्षेत्र से गिरफ्तार किया गया। आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

पूछताछ का विवरणः- अभियुक्तगण महबूब व आमिर दोनो ने बताया कि लगभग बीस दिन पहले हम दोनो ने यह सामान एक फैक्टरी से चोरी किया था जो पाण्डवनगर में है उस दिन रिक्शे का पहिया टेठा हो जाने के कारण हम इसे नही ले जा पाये तथा इस सामान को झाड़ियो में छिपा दिया था आज रिक्शे को थोड़ा ठीक कर उक्त सामान को बेचने ले जा रहे थे।

बरामदगी-

- 04 विद्युत मोटर
- तीन फैन ब्लेड
- बेल्डिंग होल्डर
- लोहे का सामान
- 5500 रूपये नगद

अभियुक्त का नाम पता-

(1) महबूब पुत्र बुन्दु निवासी म न0198 वीर अब्दुल हमीद कालोनी सेक्टर 12 थाना विजयनगर कमिश्नरेट गाजियाबाद , उम्र 38 वर्ष

(2) आमिर पुत्र अली मोहम्मद निवासी म0न0 304 वीर अब्दुल हमीद कालोनी सेक्टर 12 थाना विजयनगर कमिश्नरेट गाजियाबाद , उम्र 28 वर्ष

गिरफ्तार करने वाले टीमः-

थाना कविनगर पुलिस टीम